कार्यालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास (कलक्टर) भरतपुर

अपील/आरटीआई/49/2020

डा. रामकिशन पोहिया पुत्र श्री घीसाराम,152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे भरतपुर ।

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 24.06.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट डा. रामकिशन पोहिया पुत्र श्री घीसाराम,152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 13.03.2020 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/330 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर के पत्र क्रमांक/3503 दिनांक 15.06.2020 से जबाव प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/3503 दिनांक 15.06.2020 का अवलोकन किया । पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/2856 दिनांक 12.05.2020 की प्रति भी संलग्न की गई हैं। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई दी गई हैं ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति) भेजी जावे। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर को भी प्रेषित की जावे।

(नथमल डिडेल)
अध्यक्ष, नगर विकास न्यास
(कलक्टर) भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested